



# बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

केन्द्रीय कार्यालय, नौगढ़, हुसैनगंज, उस्का रोड,  
नौगढ़, सिद्धार्थ नगर – 27220  
फोन 0. 6389203057, ई-मेल: rosidn@barodauprrb.co.in

सार्वजनिक बिक्री  
नीलामी सूचना  
(अलग सम्पत्तियाँ हेतु)

## अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वितीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित धरतन अधिनियम 2002 (संशुद्ध अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(2) (संशुद्ध) नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक भाग में नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक, सिद्धार्थ नगर के ऋण खाते में बचक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी 'जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है' के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (सी) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिये, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक 24.04.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सिद्धार्थ नगर में मुख्यबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पुरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक 25.04.2023 को समय दोपहर 12:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आरक्षियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (क) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	भाग सूचना तिथि/अधिग्रहण तिथि/अधिग्रहण प्रकार	वकाला धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि
----------	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------	--------------------------

शाखा: सोहास, सम्पर्क- +91 8052495235

1.	ऋणी: मेसर्स पूजा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप. अरुण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, पता-ग्राम-सरदार पटेल नगर वार्ड सं. 10, उस्का बाजार नौगढ़, जिला-सिद्धार्थ नगर जमानतकर्ता: (1) विजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, पता-ग्राम-सरदार पटेल नगर वार्ड सं. 10, उस्का बाजार नौगढ़, जिला-सिद्धार्थ नगर (2) हरिश चन्द्र पुत्र पराग मल, पता-मरवाटिया माफ़ी, पोस्ट-चौरी महुलाना, उस्का बाजार, नौगढ़, जिला-सिद्धार्थ नगर	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि/भवन, प्लॉट सं. 747, क्षेत्रफल 850 वर्ग फिट/79.00 वर्ग मी. स्थित वाका मौजा सोहास दारकवानी, तप्पा-सोहास, नौगढ़ सिद्धार्थ नगर, मालिक: विजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व: बबन की भूमि, पश्चिम: पक्की रोड, उत्तर: मनेज कुमार की भूमि, दक्षिण: सलाहूदिदन एवं अन्य की भूमि	24.11.2020	रु. 11,84,610.00	16,95,000.00
			19.02.2021		
			सांकेतिक कब्जा	रु. 11,84,610.00	16,95,000.00
			दिनांक 24.11.2020 के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 24.11.2020 से + अन्य खर्च		

शाखा: नौगढ़, सम्पर्क- +91 70680 03675

2.	ऋणी: मेसर्स भारत ट्रेडर्स प्रो० लियाकत अली पुत्र मोहम्मद राशिद, पता-ग्राम- खजुरिया, पोस्ट- तेतरी बाजार, नौगढ़, जिला- सिद्धार्थ नगर, 272203 जमानतकर्ता: (1) अविनाश कुमार आजाद पुत्र श्रीपती, पता-ग्राम-देवकाली, पोस्ट- धोरा बाजार, जिला- सिद्धार्थ नगर, (2) रशीद पुत्र वाजिद अली खान, पता-खजुरिया तप्पा - थरौली, जिला- सिद्धार्थ नगर, 272207	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि/भवन, गाटा/प्लॉट सं. 5मी, क्षेत्रफल: 1360 वर्ग फीट/126.4 वर्ग मी. स्थित वाका मौजा खजुरिया तप्पा थरौली, तहसील- नौगढ़, जिला- सिद्धार्थ नगर, मालिक: मोहम्मद रशीद पुत्र वाजिद अली चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व: कुचा रास्ता, पश्चिम: सरफराज की भूमि, उत्तर: श्री चौधरी की भूमि, दक्षिण: सरफराज की भूमि	24.11.2020	रु. 6,01,174.00	35,93,000.00
			19.02.2021		
			सांकेतिक कब्जा	रु. 6,01,174.00	35,93,000.00
			दिनांक 24.11.2020 के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 24.11.2020 से + अन्य खर्च		

3.	ऋणी: स्व० शिव शंकर अग्रहरी विधिक उत्तराधिकारी: श्रीमती सरिता अग्रहरी, पता-बर्डपुर सं. 14, टोला (रमजान नगर) नौगढ़, जिला - सिद्धार्थ नगर 272203 जमानतकर्ता: (1) श्रीमती सरिता अग्रहरी पत्नी स्व० शिव शंकर अग्रहरी, पता-बर्डपुर सं. 14, टोला (रमजान नगर) नौगढ़, जिला - सिद्धार्थ नगर 272203 (2) श्रीमती गुडिया देवी पत्नी श्री बलराम प्रसाद, पता-बर्डपुर सं. 14, टोला (रमजान नगर) नौगढ़, जिला - सिद्धार्थ नगर 272203	1) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि/भवन, गाटा/प्लॉट सं. 1973, क्षेत्रफल 819.35 वर्ग फिट/76.14 वर्ग मी. स्थित वाका मौजा बर्डपुर सं. 14, टोला सुभाष नगर तप्पा घोष, परगना/तहसील नौगढ़, जिला - सिद्धार्थ नगर, मालिक: गुडिया देवी पत्नी बलराम प्रसाद चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व: कलाम की भूमि, पश्चिम: भोला का मकान, उत्तर: नसीर व अन्य का खलिहान, दक्षिण: जैस मुहम्मद की भूमि 2) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि/भवन, गाटा/प्लॉट सं. 905, क्षेत्रफल 1360 वर्ग फिट/126.4 वर्ग मी. स्थित वाका मौजा बर्डपुर सं. 14, टोला सुभाष नगर तप्पा घोष, परगना/तहसील नौगढ़, जिला - सिद्धार्थ नगर, मालिक: श्रीमती सरिता अग्रहरी पत्नी स्व. शिव शंकर चौहद्दी (डीड के अनुसार): पूर्व: सत्यनरायण की भूमि, पश्चिम: राजाराम की भूमि, उत्तर: नईम व अन्य की भूमि, दक्षिण: रास्ता	24.11.2020	रु. 9,38,376.00	सम्पत्ति 1 7,57,000.00
			19.02.2021		
			सांकेतिक कब्जा	रु. 9,38,376.00	7,57,000.00
			दिनांक 24.11.2020 के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 24.11.2020 से + अन्य खर्च		
				सम्पत्ति 2 7,58,400.00	75,840.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहुरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए)। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अंतिम में सिद्धार्थ नगर में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। अगर व ऐसा नहीं करते हैं तो उक्त नगद पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करके का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रमार्ग / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दायों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनमें मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो कुछ भी है' और 'वहाँ जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाया का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। 10. कर्जदारों / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूति आरक्षियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (6) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रमार्गों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। 11. वे अपराह्न 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) के लिए विशेष रूप से तथा आधार / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.pdf> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना  
कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, उचित व ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बचक शेष होगा तो उसे अलग बेच दिया जाएगा, प्रमार्गों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।